



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 260]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 जुलाई 2015—आषाढ़ 10, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2015

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. . . —मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा परिवहन विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, पदाधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत परिवहन विभाग
की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं (1)	पदाधिकारी का नाम (2)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (3)	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम (4)	प्रथम अपील अधिकारी के निराकरण की गई समय-सीमा (5)	द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम (6)	संभागायुक्त दिवस (7)
15.4	लर्निंग लायसेंस की प्रतिलिपि जारी करना.	क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी.	07 कार्य दिवस.	कलेक्टर	15 कार्य दिवस.		
15.5	वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि जारी करना.	क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी.	07 कार्य दिवस.	कलेक्टर	15 कार्य दिवस.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.6	वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण.	क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी.	07 कार्य दिवस.	कलेक्टर	15 कार्य दिवस.	संभागायुक्त
15.7	ड्रायविंग लायसेंस जारी करना.	क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी.	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त
15.8	डुप्लीकेट ड्रायविंग लायसेंस जारी करना.	क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी.	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त
15.9	ड्रायविंग लायसेंस का नवीनीकरण.	क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी.	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिंजन राव, सचिव.